न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2020 (राजसमन्द डिक्री)

1. शंकर पिता डालू जी बलाई, निवासी आसन, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
2. गणेश पिता डालू जी बलाई, निवासी आसन, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रभूलाल पिता मीठालाल जी बलाई, निवासी आसन, ग्राम पंचायत बीकावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. धर्मेश पिता मीठालाल जी बलाई, निवासी आसन, ग्राम पंचायत बीकावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. छोगालाल पिता खेमा जी बलाई, निवासी आसन, ग्राम पंचायत बीकावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. तोलीराम पिता सोला जी बलाई, निवासी आसन, ग्राम पंचायत बीकावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, आमेट दिनांक
28–06–2017 प्रकरण संख्या 74/2015

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री एस.एल. लढ्ढा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

निर्णय दिनांक 21–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद घोषणा एवं राजस्व अभिलेखों में अंकन बाबत् का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आसन में खाता संख्या 50 नया पुराना 43 की आराजी नंबर 240, 241 व 243 कुल किता 3 रकबा 0.5900 हैक्टर, खाता संख्या 54 नया पुराना 43 की आराजी नंबर 165 रकबा 0.0800 हैक्टर एवं खाता संख्या 51 नया पुराना 44 की आराजी नंबर 42, 153, 157, 166 व 167 कुल किता 5 रकबा 2.2100 हैक्टर भूमि स्थित है। वाद पत्र के कलम [illegible] के सजरे अनुसार उक्त आराजियात के मूल खातेदार खेमा जी होकर उनके 4 [illegible] डालू, छोगा, लक्ष्मण एवं सोला हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

डालू के 2 पुत्र शंकर व गणेश हुए। छोगालाल का पुत्र मीठालाल हुआ एवं मीठालाल के 2 पुत्र प्रभू (गोद गया) व धर्मेश हुए। प्रभू लक्ष्मण के गोद गया तथा सोला के वारिस तोलीराम है। लक्ष्मण की मृत्यु होने के बाद उसकी भूमि उसकी पत्नी अणछीबाई के नाम आई, जिसने वादी प्रभू को रीति रिवाज से गोद रखा। अणछी की मृत्यु होने पर उसका क्रिया कर्म भी वादी प्रभू द्वारा किया गया, किन्तु लक्ष्मण के खाते की भूमि वादी के खाते दर्ज नहीं हुई है। अतः उक्त आराजियात में से लक्ष्मण के हक अधिकारों की भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर एवं अपने निर्णय दिनांक 28–06–2017 को वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट जुलाई 2020 में जब पटवारी के पास खाते की नकल हेतु गये तो उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारों की सहमति के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो लोक अदालत की भावनाओं के विपरीत है। वादी ने न तो अपने आपको गोद पुत्र साबित कराया है, न ही सिविल कोर्ट ने वादी प्रभूलाल को गोद पुत्र घोषित किया है, जिससे वादी को लक्ष्मण का गोद पुत्र नहीं माना जा सकता। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested

में लोक अदालत में वादी डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 2016 Chhattisgarh High Court Page 66, AIR 2010 Jharkhand High Court Page 100, AIR 2017 Karnataka High Court Page 143, AIR 2008 Jharkhand High Court Page 12, AIR 2014 Rajasthan High Court Page 144, AIR 2002 SCW Supreme Court Page 2637 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आयी साक्ष्य के अनुसार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24–01–2017 के अनुसार पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सम्मन आज ही प्रस्तुत करने का आदेश देकर प्रकरण में दिनांक 30–03–2017 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 30–03–2017 को पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से दिनांक 04–05–2017 की पेशी नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक को पत्रावली पेश ही नहीं हुई एवं सीधे ही दिनांक 28–06–2017 को लोक अदालत में रखकर सिर्फ वादी प्रभूलाल एवं प्रतिवादी संख्या 4 छोगालाल की सहमति के हस्ताक्षर के आधार पर अनस्टाम्प एवं अनरजिस्टर्ड इकरारनामें के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं अनरजिस्टर्ड, अनस्टाम्प इकरारनामें पर पक्षकारों की साक्ष्य सबूत लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20–11–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 21–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:34 IST
Reason: SelfAttested